भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2980
(10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मजदूरी और कार्य के दिनों में वृद्धि

2980. श्री छोटेलाल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत मजदूरी को 400 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए और कार्य के न्यूनतम दिनों को 125 दिन से बढ़ाकर 200 दिन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का कामगारों को 50 दिनों के लिए कृषि कार्यों के लिए नियोजित करने का विचार है ताकि मजदूर और किसान दोनों ही लाभान्वित हो सकें?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005 की धारा 6 (1) के अनुसार, केंद्र सरकार अधिसूचना के माध्यम से अपने लाभार्थियों के लिए अकुशल कार्य की मजदूरी दर निर्दिष्ट कर सकती है। तदनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी दर अधिसूचित करता है। महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों को महंगाई से राहत देने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) में बदलाव के आधार पर हर वर्ष मजदूरी दर में संशोधन करता है। यह संशोधित मजदूरी दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से लागू की जाती है।

वर्तमान मजदूरी दर गणना पद्धति का उपयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने मजदूरी दर अधिसूचित की है और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% (औसत) और पिछले 5 वर्षों में

लगभग 29% (औसत) की वृद्धि हुई है। हालांकि, राज्य सरकारें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर के अतिरिक्त स्वयं के स्रोतों से भी मजदूरी प्रदान कर सकती हैं।

कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाने के संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए इच्छुक हो, को कम से कम एक सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने का प्रावधान करने वाला एक अधिनियम है।

मंत्रालय वन क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक अनुसूचित जनजाति परिवार को (निर्धारित 100 दिनों से अधिक) 50 दिनों के अतिरिक्त मजदूरी रोजगार के प्रावधान का अधिदेश देता है, बशर्ते कि इन परिवारों के पास वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के तहत प्रदान किए गए भूमि अधिकारों के अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति न हो।

इसके अलावा, सूखा/प्राकृतिक आपदा प्रभावित अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में 50 दिनों तक का अतिरिक्त मजदूरी रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 3(4) के अनुसार, राज्य सरकारें अधिनियम के तहत गारंटीकृत अवधि के परे अपने स्वयं के कोष से रोजगार के अतिरिक्त दिन प्रदान करने का प्रावधान कर सकती हैं।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विकसित भारत- रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी - जी राम जी अधिनियम, 2025 के तहत, गारंटीकृत मजदूरी रोजगार के दिनों को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है।

(ख): ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र किसान और उनके परिवार के सदस्य उन कार्यों के तहत रोजगार की मांग कर सकते हैं जो वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अनुमेय हैं।

****